



No. DMRC/E/ST/Auction/Grass/2012E0671 (Efile-139075)

दिनांक: 18.09.2026

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के परिसर में उपलब्ध कागज की रद्दी को नीलम किया जाना प्रस्तावित है इस सन्दर्भ में इच्छुक खरीद दरो/बोलीदाताओं को आमंत्रित किया जाता है :

कागज/रद्दी की नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें:

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के परिसर में उपलब्ध कागज की रद्दी को नीलामी से पूर्व निर्धारित अवधि दिनांक 21.09.2026 से 25.09.2026 की अवधि के दौरान प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक देखा/निरीक्षण किया जा सकता है।
2. इच्छुक खरीददार को नीलामी में भाग लेने से पूर्व बयाना राशि रु. 3,000/- (रुपए तीन हजार मात्र) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में Director, National Institute of Health Research, Jodhpur के नाम से अथवा रोकड़ के रूप में 28.09.2026 दोपहर 01:00 बजे तक जमा कर उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी। बयाना राशि जमा करने वाले खरीददार को ही नीलामी में भाग लेने का अधिकार होगा।
3. कागज की रद्दी की नीलामी हेतु बोली दिनांक 28.09.2026 को दिनांक 03:00 बजे सभी पात्र खरीददारों की उपस्थिति में लगाई जाएगी।
4. नीलामी जिस खरीददार के पक्ष में स्वीकृत होगी, उसे नीलामी की पूर्ण रकम उसी दिन (दिनांक 28.09.2026) तत्काल कार्यालय में जमा कराना होगा।
5. सफल खरीददार द्वारा निर्धारित समय में नीलामी राशि जमा नहीं करने की स्थिति में नीलामी निरस्त की कर दी जाएगी एवं बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी तथा नियमानुसार अगली उच्चतम बोली लगाने वाले खरीददार को रद्दी देने की कार्यवाई की जा सकती है।
6. कागज की रद्दी का वजन/माप, जहाँ लागू हो, अधिकृत कांटे/तरीके से किया जाएगा। नीलामी के पश्चात मात्रा अथवा वजन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
7. कागज की रद्दी को काटना, छांटना, बांधना, लोड करना तथा परिसर से उठाकर ले जाना खरीददार की स्वयं की जिम्मेदारी एवं खर्च पर होगा।
8. खरीददार को नीलामी की स्वीकृति एवं पूर्ण भुगतान के पश्चात निर्धारित अवधि के भीतर सम्पूर्ण कागज की रद्दी उठाकर ले जानी होगी। निर्धारित अवधि के बाद परिसर में रद्दी रखने की अनुमति नहीं होगी।
9. रद्दी उठाते समय संस्थान की किसी अन्य सामग्री, फर्नीचर, भवन, विद्युत व्यवस्था, पेड़-पौधे, लॉन अथवा अन्य संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। नुकसान होने की स्थिति में उसकी पूरी



icmr | **NIHR**
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH | NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH RESEARCH, JODHPUR

आई सी एम आर - राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Health Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

भरपाई खरीददार द्वारा की जाएगी तथा संस्थान को नीलामी निरस्त करने का अधिकार होगा।

10. रद्दी की कटाई, छंटाई एवं उठान के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना, चोट अथवा अन्य नुकसान के लिए खरीददार स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. रद्दी उठाने हेतु खरीददार अपने मजदूर/वाहन आदि की व्यवस्था स्वयं करेगा तथा परिसर में कार्य करते समय संस्थान द्वारा दिए गए सुरक्षा एवं प्रवेश संबंधी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. खरीददार द्वारा रद्दी उठाने के दौरान संस्थान के किसी भी कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति को असुविधा या नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। किसी प्रकार की अनुशासनहीनता पाए जाने पर खरीददार को परिसर से बाहर किया जा सकता है।
13. रद्दी उठाते समय संस्थान की ऐसी कोई भी सामग्री जो नीलामी में शामिल नहीं है, उसे ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ऐसी सामग्री ले जाने का प्रयास किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
14. लागू GST/कर एवं अन्य सरकारी शुल्क, यदि कोई हों, सफल खरीददार द्वारा अलग से देय होंगे।
15. नीलामी प्राधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा बिना कारण बताए नीलामी को निरस्त/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
16. नीलामी में भाग लेने वाला प्रत्येक खरीददार यह माना जाएगा कि उसने रद्दी का निरीक्षण कर लिया है तथा वह रद्दी की स्थिति, गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट है। नीलामी स्वीकृत होने के बाद इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी।
17. नीलामी से संबंधित सभी नियम एवं शर्तों का पालन करना सफल खरीददार के लिए अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर नीलामी अधिकार समाप्त करने एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार संस्थान के पास रहेगा।


18/9/26

प्रशासनिक अधिकारी
कृते निदेशक

प्रतिलिपि :

1. सूचना पट, आईसीएमआर-एनआईएचआर जोधपुर
2. मनीष प्रजापति, तकनीकी सहायक से आग्रह है की इस सूचना को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. सिक्यूरिटी सुपरवाइजर
4. गार्ड फाइल